# उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या-सा-2-568/दस–2003-59/81

लखनऊः दिनांक 2 मई, 2003

## विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स, 1985 के नियम 11 (1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11 (1) तथा कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 2003 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू रहेगी।

आज्ञा से,
आनन्द मिश्र,
सचिव, वित्त।

संख्या : सा-2-568 (2)/दस-2003-59/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

# GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

**[FINANCE (GENERAL) SECTION 2]**

**No. G-2-568/X-2003-59-81**

*Dated : Lucknow : 2 May,* 2003

## Notification

**Miscellaneous**

In accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund, Uttar Pradesh, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also of the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 8% (eight per cent) per annum during the Financial Year 2003-2004 on all accounts. This rate shall be in force during the Financial Year beginning on April 01, 2003.

By order,
ANAND MISRA,
*Sachiv, Vitta.*

पी0एस0यू0पी0--2 सा0 वित्त--23-07-2003--10,000 प्रतियां (डी0टी0पी0)।